2.1

प्रपत्र– 11

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार–मठखाल–तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 663/ 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417/ 111(2)/ 15–04(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर में शान्ति बाजार.–मठखाल–तल्ला डोबा मोटर मार्ग 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु रू0 42.96 लाख की (प्रथम चरण यथा–वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ क्षेत्र में मटखाल एवं डोबा क्षेत्र यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम सभा कटारमल, तोक नौटा, मठखाल जनसंख्या (264) एवं ग्राम डोबा मला, तल्ला (405) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं जिन्हें परिवहन एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया हैं। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.00 कि0मी0 आती है।

वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता हैं। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र गरूड़ है। यातायात की सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा के साथ ही अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे जिससे चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार होगा। ग्रामीणों को गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे वृक्षों का अवैध पातन रूकेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है और अवशेष मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त भूमि का प्राविधान जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के वन क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाते हुए टोपोसीट एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं। **संरेखण नं0 1** जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण गरूड़–धैना–ल्खनी मोटर मार्ग के कि0मी0.11 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार अधिकांश लम्बाई में नाप एवं सिविल सोयम वन भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसमें बैन्ड नहीं आता हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।
संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण गरूड़–धैना–लखनी मोटर मार्ग के कि0मी0 8..से प्रस्तावित किया गया है जिसमें आरम्भ में वन पंचायत भूमि एवं उसके बाद बीच बीच में सिविल सोयम एवं नाप भूमि आती है परन्तु इस संरेखण में 2 बैन्ड आते हैं। इस संरेखण में अधिक वन भूमि के साथ ही बांज एवं अन्य प्रजाति के अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया हैं।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 3.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 0.993 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 63 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर